न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एस
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./78/2024

1. महावीरपुत्र धीसालाल जाति जाट निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीयां

बनाम

1. कैलाश पुत्र छोटू जाति जाट निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. हरिराम पुत्र छोटू जाति जाट निवासी पाड़लियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–24.05.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री राहुल आचार्य
2. वकील अप्रार्थी संख्या 1– श्री किशन आचार्य
3 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा पाड़लियां पटवार क्षेत्र पाड़लियां भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 395 में दर्ज खसरा नं. 865 रकबा 1.89 कुल किता 01 कुल रकबा 1.89 हैक्ट और खाता संख्या 390 में दर्ज खसरा नम्बर 866 रकबा 2.17 कुल किता 01 कुल रकबा 2.17 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 02 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 03 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया।अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी बाबत् अपनी अनापत्ति प्रकट करते हुए पत्रावली आदेशिका पर अपनी टिप्पणी अंकित की। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री किशन आचार्य द्वारा वकालतनामा पैश कर, पत्थरगढ़ी बाबत् अपनी अनापत्ति प्रकट करते हुए पत्रावली आदेशिका पर अपनी टिप्पणी अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम सवाईपुरा के खाता संख्या 395 तथा 390 संवत 2073–2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा पाड़लियां पटवार क्षेत्र पाड़लियां भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

सं0 395 में दर्ज खसरा नं. 865 रकबा 1.89 कुल किता 01 कुल रकबा 1.89 हैक्ट और खाता संख्या 390 में दर्ज खसरा नम्बर 866 रकबा 2.17 कुल किता 01 कुल रकबा 2.17 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार देवलिया कलां को 1000/- रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(गुरु प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)